निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 72/2022
दायरा दिनांकः–06.07.2022
निर्णय दिनांकः–29.1.25

उनवान

1. रामप्रताप आयु 72 वर्ष आत्मज किशनलाल
2. नंदकिशोर आयु 66 वर्ष आत्मज किशनलाल
3. पानाबाई आयु 68 वर्ष पुत्री किशनलाल जातियान धाकड़ निवासी कड़ैयानोहर
4. कौशल आयु 55 वर्ष आत्मज रामप्रसाद
5. पप्पू आयु 52 वर्ष आत्मज रामप्रसाद
6. ललताबाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामप्रसाद
7. सावित्रीबाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामप्रसाद जातियान धाकड़ निवासीगण ग्राम कडैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

बनाम

1. शंकरलाल आयु 68 वर्ष आत्मज मथुरालाल
2. गिर्राजप्रसाद आयु 58 वर्ष आत्मज मथुरालाल
3. राधेश्याम आयु 56 वर्ष आत्मज मथुरालाल
4 सीताराम आयु 53 वर्ष आत्मज मथुरालाल
5. भालीबाई आयु 60 वर्ष पुत्री मथुरालाल जातियान धाकड़ निवासीगण ग्राम कड़ेयानोहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमन्त पारीक– प्रार्थी
2. भगवान कृष्ण बलरिया – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में भूमि खसरा नंबर 177 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 273 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 499/1 रकबा 10 बिस्वा खसरा नंबर 539/1 रकबा 08 विस्वा, खसरा नंबर 563/2 रकबा 04 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खसरा नंबर 773/2 रकबा 01 बिस्वा कुल किता छह रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में अवस्थित चली आ रही है। वाके ग्राम कडेयानोहर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 273/2 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 499/2 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 559/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 563/1 रकबा 03 बिस्वा खसरा नंबर 773/1 रकबा 01 बिस्वा कुल किताा पांच रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में अवस्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नंबर 1 व 2 में वर्णित भूमियात वादीगण के पिता/नाना किशनलाल एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 के पिता मथुरालाल की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। किशनलाल मथुरालाल दोनों सगे भाई थे। वाद पत्र की मद नंबर 1 व 2 में वर्णित भूमियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की सहमति से आपस में बंटवारा कर लिया गया था तथा बंटवारे अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि खसरा नंबर 273 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा में बंटवारा होने पर खसरा नंबर 273/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वादीगणा के खाते एवं खसरा नंबर 273/2 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी कम 1 ता 5 के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। भूमि खसरा नंबर 273 तथा वर्तमान खसरा नंबर 273/1 व खसरा नंबर 273/2 की भूमियात एक ही स्थान पर स्थित थी, जिसमें रास्ते की रफ पश्चिम दिशा की भूमि प्रतिवादी कम 1 ता 5 के हिस्से में आई है तथा पूर्व दिशा की भूमि वादीगण के हिस्से में आई है। भूमि खसरा नंबर 273/1 की भूमि को काश्त करने एवं हंकाई जुताई करने के लिए ट्रेक्टर आदि खसरा नंबर 273/2 में होकर निर्विवाद रूप से निकलते चले आ रहे हैं। भूमि खसरा नंबर 273 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा में बंटवारा होने पर खसरा नंबर 273/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वादीगणा के खाते एवं खसरा नंबर 273/2 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। भूमि खसरा नंबर 273 तथा वर्तमान खसरा नंबर 273/1 व खसरा नंबर 273/2 की भूमियात एक ही स्थान पर स्थित थी, जिसमें रास्ते की रफ पश्चिम दिशा की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के हिस्से में आई है तथा पूर्व दिशा की भूमि वादीगण के हिस्से में आई है। भूमि खसरा नंबर 273/1 की भूमि को काश्त करने एवं हंकाई जुताई करने के लिए ट्रेक्टर आदि खसरा नंबर 273/2 में होकर निर्विवाद रूप से निकलते चले आ रहे हैं। वादीगण अपनी भूमि में आने जाने एवं ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए भूमि खसरा नंबर 273/2 में से रास्ते के लिए दी जाने वाली भूमि के बदले डीएलसी दर के अनुसार राशि जमा करने को तत्पर है। प्रतिवादी कम 6 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम कडैयानोहर तहसील छबड़ा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 293 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है खसरा नम्बर 4.15 बीघा में बटवारा होने पर खसरा नम्बर 273/1 वादीगण के खाते एवं खसरा नम्बर 273/2 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई खसरा नम्बर 273/1 की भूमि को काश्त करने एवं हकाई जुताई करने के लिए खसरा नम्बर 273/2 में होकर आते जातें थे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की भूमि रोड से सहारे पश्चिम दिशा में होने से भूमि खसरा नम्बर 273/1 में आने जाने व काश्त करने का एक मात्र रास्ता प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 273/2 में होकर स्थित है। परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 273/1 को काश्त करने हेतु ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 273/2 में होकर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है प्रार्थीगण रास्ते में दी जाने वाली भूमि के बदले कानूनन राशि जमा कराने को तैयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 393 के कुल खसरा नम्बर 6 किता रकबा 10.17 बीघा प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 273/1 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिसमें जाने के लिए प्रार्थीगण रास्ता चाह रहे है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि पक्षकारों की उपस्थिति में मौका देखा गया। प्रार्थी रामप्रताप वगै0 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 273/1 रकबा 0.5944 है0 पर पहुचने के रास्ते का मौका देख गया प्रार्थी खसरा नम्बर 280 रकबा 6.0703 है0 चारागाह खसरा नम्बर 274 रकबा 0.7967 है0 गैर मुमकिन नाली तथा खसरा नम्बर 273/2 रकबा 0.6070 है0 खातेदार शंकरलाल, गिरिराज प्रसाद, राधेश्याम, सीताराम वगै0 पुत्र मथुरालाल धाकड सा0देह के खेत की उत्तरी मेड से होकर रास्ता लेना चाहता है प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर से 8.25 फीट चौडा रास्ता लेना चाहता है जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने व कृषि यन्त्र ले जाने की सुविधा हो सकें। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत तक पहॅुचने का सबसे छोटा रास्ता हे इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है वर्तमान खसरा नम्बर 274 व 273/2 से प्रार्थीगण का निकलने का रास्ता बन्द है नजरी नक्शानुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर 274 रकबा 0.7967 है0 गैर मुमकिन नाली में से 8.25 फिट x272 फिट = 2244 वर्ग के खातेदारी का भूमि में से 8.25x190 = 1567 वर्गफिट यानि कि 0.0145 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित रास्ता चारागाह भूमि एवं गैरमुमकिन नाली से प्रस्तावित हैं। जिसमे नियमानुसार रास्ता नही दिया जा सकता।

यह विचारणीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि खसरा नम्बर 273/2 से होकर चालू रास्ता विद्यमान था तथा ट्रेक्टर आदि निर्विवाद रुप से निकलते चले आ रहे है। यह प्रकरण धारा 251

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(मार्गाधिकार एवं सुखाचार) के तहत सक्षम न्यायालय तहसीलदार छबडा से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 273/2 की मेढ से होकर रास्ता चाहा गया है एवं खसरा नम्बर 273/2 के लगवा खसरा नम्बर 266 के सम्बन्ध मे पक्षकार नही बनाये है केवल एक खातेदार पर रास्ते का भार डाला जाना न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिती मे धारा 251ए के तहत नया रास्ता प्रदान किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251A RTA चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा